

# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

सुशीला हुंवर विपक्षी राज्य

मुकदमा 88 P.T. 108 पत्रावली संख्या 26/20 सन्

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
<p>13/5/25                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप...                      के लिये मौका चाहते है। अतः...                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दि...                      को पेश हो।                      (SDO) मावली</p>	
<p>4/6/25                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप...                      के लिये मौका चाहते है। अतः...                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दि...                      को पेश हो।                      (SDO) मावली</p>	
<p>9/7/25                      पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।                      उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का                      बहिष्कार करने/शोक समा कर न्यायिक कार्य                      स्थगित रखने/अधिवक्ता जी आज अवकाश/                      भ्रमण/मीटिंग में प्यारे है। पत्रावली पूर्व अदेश                      के क्रम में दिनांक 28/8/25 को पेश हो।                      B/o</p>	



26/08/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीयाँ  
मय स्वयं वादीया अनुपस्थित। अधिवक्ता  
वादीया मय स्वयं वादीयाँ को बार-बार  
झावाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00 PM  
हो चुके हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण  
वर्तमान में वस्स दावा में लम्बित हैं। वादीयाँ  
मय उनके अधिवक्ता को वट्स हेतु लगभग  
3 माह का समय दिया गया था परन्तु  
अधिवक्ता वादीया डारा अब तक वहम नहीं  
की गई। आज भी स्वयं वादीया एवं उनके  
अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। इससे स्पष्ट जाहिर  
होता है कि वादीयाँ अपने वाद के प्रति  
सजग नहीं हैं तथा मात्र प्रकरण को लम्बा  
करना चाह रहे हैं। अतः अधिवक्ता वादीया  
मय स्वयं वादीया अनुपस्थित रहने पर  
वादीया का वाद अहम हाजरी अहम फैसी  
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल  
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय चुले न्यायालय चुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) मावली